अध्याय VI: विशेष अपशिष्ट का प्रबंधन

इस अध्याय में जैव-चिकित्सा अपशिष्ट, इलेक्ट्रिक एवं इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट (ई-अपशिष्ट), प्लास्टिक अपशिष्ट तथा निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन सम्मिलित है।

अध्याय का सारांश:

- नमूना जांच किये गये किसी भी शहरी स्थानीय निकाय में घरों से उत्पन्न जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का स्रोत पर पृथक्कीकरण नहीं किया जा रहा था। फलस्वरूप, घरेलू जैव-चिकित्सा अपशिष्ट सहित मिश्रित अपशिष्ट का परिवहन किया जा रहा था एवं भूमि भरण अथवा संयत्र स्थल पर क्षेपित किया जा रहा था।
- नगर निगम गाजियाबाद के अतिरिक्त, शहरी स्थानीय निकायों ने जैव-चिकित्सा अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए साझा जैव-चिकित्सा अपशिष्ट शोधन सुविधा के साथ संविदात्मक व्यवस्था स्थापित नहीं की थी।
- उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास 2016-17 से 2020-21 के मध्य राज्य में ई-अपशिष्ट के उत्पादन, संग्रहण और निस्तारण के सम्बन्ध में विवरण उपलब्ध नहीं था।
- नगर निगम गाजियाबाद के अतिरिक्त, शहरी स्थानीय निकायों में ई-अपशिष्ट को एकत्रित कर अधिकृत विघटनकर्ताओं/ पुनर्चक्रणकर्ताओं तक भेजने के लिये कोई गतिविधि नहीं की जा रही थी। इसके अतिरिक्त, चार नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों के परिसरों में ई-अपशिष्ट क्षेपित पाया गया।
- नमूना जांच किये गये 35 शहरी स्थानीय निकायों में कुल 298.82 मीट्रिक टन प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त की गयी थी तथा ₹ 3.24 करोड़ का जुर्माना वसूल किया गया। तथापि, ज़ब्त प्रतिबंधित प्लास्टिक में से मात्र 203.88 मीट्रिक टन का निस्तारण किया गया था, जबकि शेष 94.95 मीट्रिक टन मार्च 2022 तक नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों के अधिकार में था।
- नगर निगम गाजियाबाद और नगर निगम लखनऊ के अतिरिक्त, नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकाय निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट के संग्रहण के लिए निर्दिष्ट उपयुक्त स्थानों की व्यवस्था करने या अपशिष्ट पात्र उपलब्ध कराने में विफल रहे।

6 विशेष अपशिष्ट का प्रबंधन

नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मैनुअल 2016 की धारा 7.1 के अनुसार, विशेष अपशिष्ट में जैव-चिकित्सा अपशिष्ट, इलेक्ट्रिक एवं इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट तथा प्लास्टिक अपशिष्ट सम्मिलित हैं। अग्रेतर, निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट में किसी भी नागरिक संरचना के निर्माण एवं विध्वंस के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली निर्माण सामग्रियां व छोटे-छोटे पत्थर के टुकड़े एवं मलबे सम्मिलित है जो निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 से आच्छादित होते हैं।

विशेष अपशिष्ट घरेलू स्तर पर भी उत्पन्न होते हैं जो अनुचित संग्रहण प्रणालियों या स्रोत पर पृथक्करण की कमी के कारण अक्सर मिश्रित ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन धारा में विलीन हो जाते हैं। इन विशेष अपशिष्टों के प्रबंधन पर आगामी प्रस्तरों में चर्चा की गयी है।

6.1 जैव-चिकित्सा अपशिष्ट

जैव-चिकित्सा अपशिष्ट ऐसे अपशिष्ट के रूप में परिभाषित है, जो मानव या पशुओं के निदान, उपचार या टीकाकरण के दौरान या उनसे संबंधित अनुसंधान गतिविधियों से या जैविकीय उत्पादन या परीक्षण में स्वास्थ्य शिविरों में उत्पन्न होता है। जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 एवं जैव-चिकित्सा अपशिष्ट (संशोधन) नियम, 2018 से शासित होता है। साझा जैव-चिकित्सा अपशिष्ट शोधन सुविधा, जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का उत्पादन करने वाले परिसरों (अधिभोक्ता) से जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का समय से संग्रहण करने तथा मानव स्वास्थ्य व पर्यावरण पर बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव के उसका परिवहन, हथालन, भंडारण, उपचार और निस्तारण करने के लिये सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए उत्तरदायी है।

6.1.1 घरों से उत्पन्न जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का गैर-पृथक्करण

जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 की अनुसूची। के भाग 2(12) के अनुसार, शहरी स्थानीय निकायों को घरों से उत्पन्न जैव-चिकित्सा अपशिष्ट को पृथक से एकत्रित करना चाहिए एवं अंतिम रूप से इसके निस्तारण हेतु इस अपशिष्ट का संग्रह साझा जैव-चिकित्सा अपशिष्ट शोधन सुविधा द्वारा सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा केंद्र से या सीधे घरों से करने के लिए व्यवस्था करनी चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना जांच किये गये किसी भी शहरी स्थानीय निकाय में घरों से उत्पन्न जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का स्रोत पर पृथक्करण नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, नगर निगम गाजियाबाद को छोड़कर, शहरी स्थानीय निकायों ने साझा जैव-चिकित्सा अपशिष्ट शोधन सुविधा के साथ संविदात्मक व्यवस्था नहीं की थी। फलस्वरूप, घरेलू जैव-चिकित्सा अपशिष्ट सहित मिश्रित अपशिष्ट भूमि भरण या संयंत्र स्थलों पर परिवहन कर क्षेपित किया जा रहा था जो जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के प्राविधानों के प्रतिकूल था।

राज्य सरकार ने जून 2024 तक लेखापरीक्षा टिप्पणी का उत्तर उपलब्ध नहीं कराया।

6.1.2 अनधिकृत अधिभोक्ता

जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 10 के अनुसार, जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का हथालन करने वाले प्रत्येक अधिभोक्ता या प्रचालक को उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राधिकार प्राप्त करना चाहिये।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कैलेंडर वर्ष 2017-21 के दौरान राज्य में 17 से 43 प्रतिशत अधिभोक्ता उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से उचित प्राधिकार प्राप्त किये बिना संचालित हो रहे थे, जैसा कि ***परिशिष्ट 6.1*** में वर्णित है।

राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (जून 2023) कि उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से सभी अनधिकृत अधिभोक्ताओं को नोटिस निर्गत किया तथा नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।

6.1.3 अपूर्ण वार्षिक रिपोर्ट

जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 और जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधित) नियम 2018 के अनुसार, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पूर्ववर्ती कैलेंडर वर्ष के जनवरी से दिसंबर तक की अवधि की एक वार्षिक रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप (फॉर्म-IVA) में संकलित करके प्रत्येक वर्ष की 31 जुलाई तक केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित करने के लिए उत्तरदायी हैं।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अधूरे विवरण/सूचना के साथ वार्षिक रिपोर्ट तैयार की, जिसके परिणामस्वरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट की श्रेणीवार मात्रा यथा पीला, लाल, सफेद एवं नीला तथा उपचार का विवरण और निस्तारण विधियों (जैसे-भस्मीकरण, आटोक्लेव आदि) के आवश्यक विवरण एवं आकड़ों की अनुपलब्धता थी। कैलेंडर वर्ष 2016-21 के दौरान जैव-चिकित्सा अपशिष्ट के उत्पादन और निस्तारण का विशिष्ट विवरण ***परिशिष्ट 6.2*** में दिया गया है।

राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (जून 2023) कि उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जैव-चिकित्सा अपशिष्ट नियम, 2016 के अनुसार वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जा रही थी। राज्य सरकार ने आगे बताया कि जैव-चिकित्सा अपशिष्ट की श्रेणीवार मात्रा का विवरण उपलब्ध कराने के लिये उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश दिये गये थे। तथापि, निर्धारित प्रारूप में वार्षिक रिपोर्ट तैयार न करने के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा में उठाए गये प्रकरण पर राज्य सरकार ने उत्तर नहीं दिया।

6.1.4 साझा जैव-चिकित्सा अपशिष्ट शोधन सुविधा की तृतीय पक्ष लेखापरीक्षा

जैव-चिकित्सा अपशिष्ट नियम, 2016 की अनुसूची III के खंड 6(xi) के अनुसार, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड राज्य में साझा जैव-चिकित्सा अपशिष्ट शोधन सुविधा की तृतीय पक्ष लेखापरीक्षा के संपादन एवं सहयोग हेतु उत्तरदायी था।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा वर्ष 2021 की उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार, राज्य में 22 साझा जैव-चिकित्सा अपशिष्ट शोधन सुविधा संचालित थे। तथापि, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा साझा जैव-चिकित्सा अपशिष्ट शोधन सुविधा में संपादित की गयी तृतीय पक्ष लेखापरीक्षा के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी। परिणामस्वरूप, साझा जैव-चिकित्सा अपशिष्ट शोधन सुविधा की तृतीय पक्ष लेखापरीक्षा का मूल्यांकन लेखापरीक्षा में नहीं किया जा सका।

राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (जून 2023) कि उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्धारित नियमों का नियमित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये निर्देश निर्गत (मई 2023) किया था।

6.2 इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट (ई-अपशिष्ट)

भारत सरकार द्वारा मार्च 2016 में ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 अधिसूचित किया गया था, जो 1 अक्टूबर 2016 से प्रभावी हो गया। इन नियमों के अंतर्गत, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के उत्तरदायित्वों में ई-अपशिष्ट का सूचीकरण, विनिर्माताओं, विघटनकर्ताओं, पुनर्चक्रणकर्ताओं और नवीनीकरणकर्ताओं को प्राधिकार प्रदान करना और उनका नवीनीकरण करना तथा विनिर्माताओं, विघटनकर्ताओं, पुनर्चक्रणकर्ताओं और नवीनीकरणकर्ताओं को प्रदान किये गये प्राधिकार के संबंध में ऑनलाइन सूचना का रख-रखाव करना शामिल है।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना ***(परिशिष्ट 6.3)*** के अनुसार, राज्य में ई-अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए निर्माता, नवीनीकरणकर्ता, संग्रहण केंद्र, विघटनकर्ता और पुनर्चक्रणकर्ताओं की संख्या वर्ष 2017 में 30 से बढ़कर वर्ष 2021 में 116 हो गई। वर्ष 2021 के दौरान सभी 116 इकाइयों को उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पंजीकृत किया गया था, यद्धपि 2017-20 की अवधि के दौरान अपंजीकृत प्रतिष्ठान 13 से 24 प्रतिशत के मध्य थे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य में 2016-17 से 2020-21 तक के ई-अपशिष्ट के उत्पादन, संग्रहण एवं निस्तारण से सम्बन्धित विवरण उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास नहीं थे। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को मार्च 2022 तक की प्रस्तुत (अक्टूबर 2022) की गयी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उद्योगों से मासिक औसत आधार पर उनकी मात्रा के साथ-साथ एकत्र किये गये श्रेणीवार अपशिष्ट, ई-अपशिष्ट के पुनर्चक्रण से पुर्नप्राप्त सामग्री का विवरण और उपचार, भंडारण और निस्तारण सुविधा पर प्राप्त सीएफएल की सूचना प्राप्त नहीं हुयी थी।

राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (जून 2023) कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रारूप के अनुसार वार्षिक रिपोर्ट तैयार और संकलित की गयी थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि संग्रहीत किये गये ई-अपशिष्ट, ई-अपशिष्ट के पुनर्चक्रण से पुर्नप्राप्त सामग्री आदि के संबंध में अपेक्षित जानकारी वार्षिक रिपोर्ट में उपलब्ध नहीं करायी गयी थी, जैसा कि ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 में परिकल्पित थी।

6.2.1 ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के अनुपालन की स्थिति

नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के प्रावधानों के साथ अनुपालन की स्थिति नीचे चर्चा की गयी है:

6.2.1.1 नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों द्वारा ई-अपशिष्ट का प्रतिधारण

ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 15 में प्रावधानित है कि प्रत्येक निर्माता, उत्पादक, थोक उपभोक्ता, संग्रह केंद्र, व्यापारी, नवीनीकरणकर्ता, विघटनकर्ता और पुनर्चक्रणकर्ता अधिकतम एक सौ अस्सी दिनों की अवधि के लिए ई-अपशिष्ट का भण्डारण कर सकते हैं।

लेखापरीक्षा में पाया कि नमूना जांच किये गये चार[1] शहरी स्थानीय निकायों द्वारा ई-अपशिष्ट को अपने परिसरों में कई वर्षों से क्षेपित किया गया था, जैसा कि निम्नलिखित चित्रों में दर्शाया गया है:

चित्र 6.1

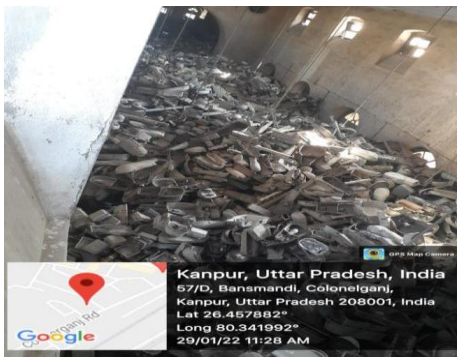

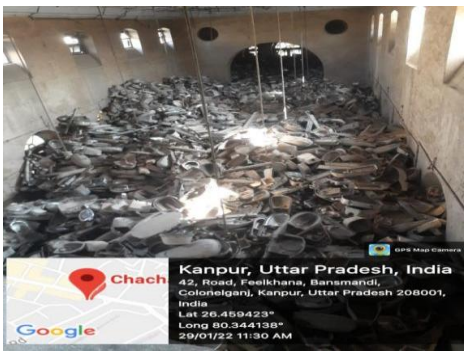

नगर निगम कानपुर (3 वर्ष से अधिक समय से क्षेपित ई-अपशिष्ट)

नगर निगम गाजियाबाद (लगभग 3 वर्षों से क्षेपित ई-अपशिष्ट)

[1] नगर निगम कानपुर, नगर निगम गाजियाबाद, नगर पालिका परिषद औरैया तथा नगर पालिका परिषद उतरौला

नगर पालिका परिषद औरैया (विगत कई वर्षों से क्षेपित ई- अपशिष्ट)	नगर पालिका परिषद उतरौला बलरामपुर (विगत कई वर्षों से क्षेपित ई- अपशिष्ट)

लेखापरीक्षा में पाया गया कि उपर्युक्त नमूना जांच किये गये चार शहरी स्थानीय निकायों ने ई-अपशिष्ट का निस्तारण नहीं किया तथा अधिकृत एजेंसियों को निस्तारण हेतु सौपने के बजाय अपने परिसरों में क्षेपित किया। शहरी स्थानीय निकायों द्वारा ई-अपशिष्ट का प्रतिधारण करना ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के प्रतिकूल था।

इसके अतिरिक्त, नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों ने उत्पन्न, संग्रहीत और निस्तारित किये गये ई-अपशिष्ट की प्रकृति और मात्रा को इंगित करने वाले आवश्यक अभिलेखों का रखरखाव नहीं किया। इस प्रकार, शहरी स्थानीय निकायों ने ई-अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए प्रभावी ढंग से न तो योजना बनाया और न ही निगरानी की।

राज्य सरकार ने बताया (जून 2023) कि नगर निगम कानपुर में ई-अपशिष्ट के निस्तारण/नीलामी के लिए आवश्यक कार्रवाई प्रारम्भ की जायेगी।

6.2.1.2 शहरी स्थानीय निकायों का उत्तरदायित्व

ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 की अनुसूची IV शहरी स्थानीय निकायों के निम्नलिखित उत्तरदायित्व निर्धारित करती है:

(i) यह सुनिश्चित किया जाय कि ई-अपशिष्ट यदि नगरीय ठोस अपशिष्ट के साथ मिश्रित पाया जाता है तो इसे उचित रूप से पृथक किया जाय, संग्रहीत किया जाय एवं पंजीकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं या नवीनीकरणकर्ताओं को सौंप दिया जाय।

(ii) यह सुनिश्चित किया जाय कि लावारिस उत्पादों[2] से संबंधित ई-अपशिष्ट को एकत्र किया जाय तथा अधिकृत पंजीकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं या नवीनीकरणकर्ताओं को भेजा जाये।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में घरों द्वारा ई-अपशिष्ट अलग से सौंपा नहीं गया था, बल्कि नगरीय ठोस अपशिष्ट के साथ मिश्रित था। तथापि, नगर निगम गाजियाबाद[3] के अतिरिक्त, शहरी स्थानीय निकायों में ई-अपशिष्ट एकत्र करने और प्राधिकृत विघटनकर्ताओं/ पुनर्चक्रणकर्ताओं को भेजने के लिए कोई गतिविधि नहीं की जा रही थी। इसके अतिरिक्त, नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों के पास उत्पन्न ई-अपशिष्ट की मात्रा के संबंध में कोई सूचना नहीं थी।

राज्य सरकार ने लेखापरीक्षा टिप्पणी पर उत्तर प्रेषित नहीं किया (जून 2024)।

6.3 प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 भारत सरकार द्वारा 18 मार्च 2016 को अधिसूचित किया गया था। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 6(1) में प्राविधानित है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय प्लास्टिक अपशिष्ट के पृथक्करण, संग्रहण, भंडारण, परिवहन, प्रसंस्करण और निस्तारण के लिए आधारभूत संरचना के विकास और स्थापना के लिए या तो स्वतंत्र रूप से या एजेंसियों या उत्पादकों को सम्मिलित करने के लिए उत्तरदायी हैं।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार, वर्ष 2020-21 में प्लास्टिक अपशिष्ट के लिए मौजूदा निस्तारण क्षमता 722.50 टन प्रतिदिन थी, जबकि अनुमानित उत्पादन 1030 टन प्रतिदिन था (***परिशिष्ट 6.4***)। इस प्रकार, प्लास्टिक अपशिष्ट के निस्तारण हेतु राज्य में मौजूद आधारभूत संरचना अनुमानित उत्पादन की तुलना में अपर्याप्त थी।

---

[2] ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अंतर्गत लावारिस उत्पाद अनुसूची I में यथाविनिर्दिष्ट गैर ब्रांड के या संयोजित विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर या किसी ऐसी कम्पनी द्वारा उत्पादित उपस्कर अभिप्रेत है जिसने अपना प्रचालन बंद कर दिया हो, के रूप में परिभाषित है।

[3] नगर निगम गाजियाबाद ने ई-अपशिष्ट के संग्रहण, परिवहन और पुनर्चक्रण/ प्रसंस्करण/निस्तारण के लिए मैसर्स एटेरो रिसाइक्लिंग प्राइवेट लिमिटेड के साथ अगस्त 2022 से अनुबंध किया।

इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में प्लास्टिक अपशिष्ट के निस्तारण के लिए उचित प्रबंधन प्रक्रियाओं को नहीं पाया। किसी भी नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकाय (नगर निगम गाजियाबाद के अतिरिक्त)[4] में प्लास्टिक अपशिष्ट को पृथक नहीं किया जा रहा था। पृथक्करण की अनुपस्थिति में, सभी नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकाय मिश्रित अपशिष्ट को एकत्रित कर भूमि भरण स्थल पर परिवहन कर रहे थे। इन शहरी स्थानीय निकायों ने पुनर्चक्रण योग्य प्लास्टिक अपशिष्ट अंश पुनर्चक्रणकर्ताओं को सौपना भी सुनिश्चित नहीं किया। नमूना जांच किये गये किसी भी शहरी स्थानीय निकाय में सभी हितधारकों की उनके उत्तरदायित्व के प्रति जागरूकता संतोषजनक नहीं थी और नगर निगम गाजियाबाद को छोड़कर किसी भी नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकाय में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के अभियान के संबंध में कोई साक्ष्य/अभिलेखीकरण नहीं पाया गया।

राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (जून 2023) कि राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकायों को संसाधन पुनर्प्राप्ति हेतु प्लास्टिक अपशिष्ट को पृथक करने के लिए सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा केंद्र के सिविल निर्माण और मशीनरी के लिए धनराशि प्राप्ति हुयी है। इसके अतिरिक्त, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर और आगरा में कुल 3,850 टन प्रतिदिन की क्षमता वाले अपशिष्ट-से-ऊर्जा संयंत्र स्थापित किये जा रहे हैं। तथापि, राज्य सरकार ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अनुपालन में शहरी स्थानीय निकायों की विफलता के बारे में लेखापरीक्षा टिप्पणी पर विशिष्ट उत्तर नहीं दिया।

6.3.1 शहरी स्थानीय निकायों द्वारा जब्त प्रतिबंधित प्लास्टिक का निस्तारण

प्लास्टिक और अन्य गैर-जैवनिम्नीकरण योग्य अपशिष्ट के उपयोग और निस्तारण को विनियमित करने के लिए उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य गैर-जैवनिम्नीकरण योग्य अपशिष्ट (विनियमन) अधिनियम, 2000 लागू (नवंबर 2000) किया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसी भी मोटाई के प्लास्टिक कैरी बैग के उपयोग, निर्माण, बिक्री, वितरण, भंडारण, परिवहन, आयात या निर्यात पर प्रतिबंध लगाने हेतु उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य गैर-जैवनिम्नीकरण योग्य अपशिष्ट (विनियमन) अधिनियम, 2000 के तहत अधिसूचना (जुलाई 2018) निर्गत किया था। इसके अतिरिक्त, इसके द्वारा

[4] नगर निगम गाजियाबाद में सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा केंद्र स्तर पर प्लास्टिक अपशिष्ट को पृथक किया जा रहा था।

एक बार उपयोग के बाद निस्तारण योग्य अभिप्रेत प्लास्टिक या थर्माकोल से बने कप, गिलास, प्लेट, चम्मच आदि के उपयोग, निर्माण, बिक्री, वितरण, भंडारण, परिवहन, आयात या निर्यात पर भी प्रतिबंध लगा दिया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 45 शहरी स्थानीय निकायों में से 36 में की गयी छापेमारी के दौरान कुल 298.82 मीट्रिक टन प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त की गयी और ₹ 3.24 करोड़ जुर्माना राशि वसूल की गयी थी, जैसा कि ***परिशिष्ट 6.5*** में दर्शाया गया है । तथापि, जब्त की गयी प्रतिबंधित प्लास्टिक में से मात्र 203.88 मीट्रिक टन का निस्तारण किया गया था, जबकि शेष 94.95 मीट्रिक टन नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों के अधिकार में था। इसके अतिरिक्त, नमूना जांच किये गये 45 शहरी स्थानीय निकायों में से नौ[5] ने कोई छापामारी नहीं की। संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान यह पाया गया कि प्रतिबंधित प्लास्टिक अपशिष्ट क्षेपण स्थलों पर फेंका जा रहा था जो प्रतिबंधित प्लास्टिक पर प्रतिबंध के निष्प्रभावी कार्यान्वयन को दर्शाता है।

राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (जून 2023) कि समस्त प्रतिबंधित और जब्त की गयी प्लास्टिक निस्तारण हेतु सीमेंट कारखानों में भेज दी गयी थी; साथ ही साथ भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और अन्य सड़क निर्माण संगठनों को चारकोल के रूप में उपयोग के लिए प्रदान किया गया। तथापि, उत्तर नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों द्वारा अनिस्तारित जब्त प्लास्टिक के संबंध में उपलब्ध करायी गयी सूचना के विपरीत है।

6.4 निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट

केंद्र सरकार द्वारा निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 को 29 मार्च, 2016 में अधिसूचित किया गया था। ये नियम व्यक्तियों, संगठनों या प्राधिकरणों द्वारा किसी भी नागरिक संरचना के निर्माण, पुर्नरचना, अनुरक्षण और विध्वंस गतिविधियों से उत्पन्न सभी अपशिष्ट पर लागू होते हैं। इसमें निर्माण सामग्री, मलबा और पत्थर के टुकड़े जैसे अपशिष्ट शामिल हैं।

[5] नगर पालिका परिषद पीलीभीत, नगर पालिका परिषद शाहाबाद हरदोई, नगर पालिका परिषद महमूदाबाद सीतापुर, नगर पालिका परिषद शामली, नगर पालिका परिषद देवबंद सहारनपुर, नगर पंचायत बिठूर कानपुर, नगर पंचायत बल्देव मथुरा, नगर पंचायत कटरा शाहजहाँपुर और नगर पंचायत कप्तानगंज कुशीनगर।

6.4.1 निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट के उत्पादन की स्थिति

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना जांच किये गये किसी भी शहरी स्थानीय निकाय ने निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट के संग्रहण, परिवहन और प्रसंस्करण हेतु कोई योजना या उपविधि तैयार नहीं की है। इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास[6] निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट का कोई सुव्यवस्थित आंकड़ा नहीं था। शहरी स्थानीय निकाय निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट पर वार्षिक सूचना उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित नहीं कर रहे थे जैसा कि निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट नियम, 2016 के तहत आवश्यक था। परिणामस्वरूप, राज्य और नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में उत्पन्न निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट की मात्रा के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं थी। इसके अतिरिक्त, नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में से किसी भी निकाय (नगर निगम गाजियाबाद के अतिरिक्त) द्वारा निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट के उत्पादन, संग्रहण, परिवहन और प्रसंस्करण/निस्तारण से संबंधित अभिलेख या रिपोर्ट उपलब्ध नहीं करायी जा सकी। परिणामस्वरूप, राज्य में उत्पन्न निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट की मात्रा लेखापरीक्षा में सुनिश्चित नहीं किया जा सका। निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट की मात्रा के निर्धारण के अभाव में इसके निस्तारण हेतु आवश्यक प्रसंस्करण सुविधाओं की क्षमता योजना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (जून 2023) कि निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट नीति बनायी गयी है। राज्य सरकार ने आगे बताया कि उत्तर प्रदेश नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) और स्वच्छता नियम, 2021 में निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट के सम्बन्ध में एक खंड सम्मिलित है। तथापि, लेखा परीक्षा में उठाए गए विशिष्ट प्रकरण जैसे शहरी स्थानीय निकायों द्वारा उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वार्षिक सूचना प्रस्तुत न करने और नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट के उत्पादन/प्रसंस्करण हेतु अभिलेखों की अनुपलब्धता को राज्य सरकार के उत्तरों में संदर्भित नहीं किया गया था।

---

[6] निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार, प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय को उत्पादन, संग्रहण, परिवहन, प्रसंस्करण, भूमि भरण आदि के सम्बन्ध में सुव्यवस्थित आंकड़े प्रतिवर्ष फॉर्म III के माध्यम से राज्य पप्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

6.4.2 निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट के लिए स्थल चिह्नित न किया जाना

निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 8(2) के अनुसार, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं को प्राधिकार देने के लिए उत्तरदायी है।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा लेखापरीक्षा को उपलब्ध (दिसंबर 2021) करायी गयी सूचना के अनुसार, 2016-21 की अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं के प्राधिकार हेतु कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ। लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि नगर निगम गाजियाबाद और नगर निगम लखनऊ के अतिरिक्त नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकाय निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट के संग्रहण के लिए उपयुक्त स्थानों को चिन्हित करने या भंडारण हेतु पात्र उपलब्ध कराने में विफल रहे। नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में किये गये संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान पाया गया कि नगर पालिका परिषद् उतरौला में मलबा निस्तारण स्थल के अभाव में निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट को सड़क किनारे डाल दिया गया था और शहरी ठोस अपशिष्ट क्षेपण स्थल पर शहरी ठोस अपशिष्ट के साथ मिश्रित कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त, नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर में ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र पर निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट क्षेपित किया जाना पाया गया, जैसा कि निम्नलिखित चित्रों में दर्शाया गया है:

चित्र 6.2

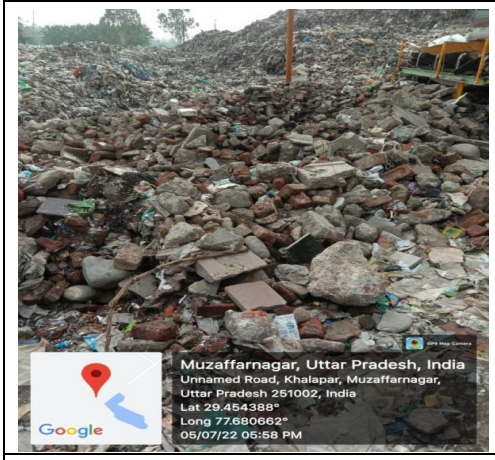	
नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर में संयंत्र स्तर पर क्षेपित निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट	नगर पालिका परिषद उतरौला में सड़क किनारे पड़ा निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट

इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि राज्य स्तर पर या नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों द्वारा निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट के निस्तारण हेतु अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया था।

राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (जून 2023) कि उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं के प्राधिकार के लिये निर्देश निर्गत किया था। नगर विकास विभाग द्वारा सात मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरों में निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया जा रहा था। राज्य सरकार ने आगे बताया कि उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार, नोएडा में 800 टन प्रतिदिन क्षमता की निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधायें संचालित हैं और गाजियाबाद[7] में 400 टन प्रतिदिन क्षमता की निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा आंशिक रूप से संचालित है।

6.4.3 निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना की स्थिति

राज्य उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने राज्य के नौ शहरी स्थानीय निकायों में निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट के निस्तारण के लिए 720 मीट्रिक टन की संचयी क्षमता वाले निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थापना के लिए ₹ 36.47 करोड़ की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन का अनुमोदन प्रदान किया (नवम्बर 2021) ***(परिशिष्ट 6.6)***। इन नौ प्रस्तावित संयंत्रों में से, मुरादाबाद, गोरखपुर और मथुरा (वृंदावन) में प्रसंस्करण संयंत्रों के लिए निविदाएं की गयी थीं, जबकि छः शहरी स्थानीय निकायों में, जून 2023 तक निविदा प्रक्रियाधीन थी। इस प्रकार, नवंबर 2021 में राज्य उच्चाधिकार प्राप्त समिति के अनुमोदन के बावजूद निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थापना में विलम्ब हुआ।

राज्य सरकार ने लेखापरीक्षा टिप्पणी पर उत्तर प्रेषित नहीं किया (जून 2024)।

[7] उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने लेखापरीक्षा को सूचित किया (दिसंबर 2021) कि गाजियाबाद और नोएडा में निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं को प्राधिकार की स्वीकृति हेतु आवेदन नहीं प्राप्त हुये थे, तथापि उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इन संयंत्रों को सहमति और अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये थे।

संक्षेप में, घरेलू जैव-चिकित्सा अपशिष्ट सहित मिश्रित अपशिष्ट का परिवहन एवं क्षेपण भूमि भरण या संयंत्र स्थलों पर किया जा रहा था। राज्य में ई-अपशिष्ट के उत्पादन, संग्रहण और निस्तारण के विवरण का रखरखाव नहीं किया गया था। अग्रेतर, प्रतिबंधित प्लास्टिक अपशिष्ट को क्षेपण स्थलों पर फेंका जा रहा था, जो प्रतिबंधित प्लास्टिक पर प्रतिबंध के अप्रभावी कार्यान्वयन को दर्शाता है। नगर निगम गाजियाबाद और नगर निगम लखनऊ के अतिरिक्त शहरी स्थानीय निकाय निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट के संग्रहण के लिए उपयुक्त स्थलों को चिन्हित करने या भंडारण हेतु पात्र उपलब्ध कराने में विफल रहे।

अनुशंसा 13: *राज्य सरकार को जैव-चिकित्सा अपशिष्ट, ई-अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट और निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट का उचित संग्रहण, परिवहन और प्रसंस्करण/निस्तारण सुनिश्चित करना चाहिये। उन्हें शहरी स्थानीय निकायों में संबंधित अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का उचित कार्यान्वयन भी सुनिश्चित करना चाहिये।*